

**In the court of S.D.J.M Pupri (Sitamarhi)**

**Present Vivek Kumar**

**C1 Case No.- 280/2023**

In the Matter of :-

*Idrish Baitha*

Applicant

*Ram Kishore Singh*

Opposite Party

दिनांक	आदेश	अभियुक्त
	<p>अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी/परिवादिनी अनुपस्थित हैं। परिवादी/परिवादिनी के तरफ से कोई हाजरी/पैरवी नहीं दी गई है।</p> <p>प्रस्तुत वाद परिवादी/परिवादिनी का शपथ बयान हेतु लंबित है। परिवादी को शपथ पर बयान हेतु कई अवसर दिए जा चुके हैं। उक्त तथ्यों से विदित होता है कि परिवादी/परिवादिनी की रूचि वाद में समाप्त हो गई है। परिवादी/परिवादिनी वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं।</p> <p>अंतः वाद को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-226 के अंतर्गत खारिज किया जाता है।</p> <p>कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।</p> <p style="text-align: center;"><i>लेखापित</i></p> <p style="text-align: center;">अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी पुपरी, सीतामढ़ी</p>	